क्रमांक-5

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी, 2011 (फाल्गुन 6, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न समय 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अ.न्तर्गत तारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित 95 तारांकित प्रश्नों के उत्तर 91 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से की गई घोषणानुसार नियम 267 क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 16 सूचनाएं 267-क (2) को शिथिल कर, आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई। ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। तदनुसार :-

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की रीवा के ग्राम माजन राम प्रसाद में पेयजल संकट होने,
(2) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार के सरदारपुर में पर्यटन स्थलों का विकास न होने,
(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर के कराहल तहसील के ग्रामों में विद्युत लाईने क्षतिग्रस्त होने,
(4) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की सर्वशिक्षा अभियान के तहत हेड स्टार्ट कम्प्यूटर योजना पुन: चालू किये जाने,
(5) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर की कालोनियों में अतिक्रमण किये जाने,
(6) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद नर्मदा नदी में गंदी नालियां मिलने से पानी प्रदूषित होने,
(7) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की मंदसौर के समीप निपानिया से भालोट सड़क मार्ग जर्जर होने,
(8) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ के जेल रोड की जर्जर हालत होने,
(9) श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य की रायसेन के बेगमगंज में जल आवर्धन योजना शुरू न होने,
(10) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की ग्वालियर के शा. महाविद्यालय क्र.-1 को हाईस्कूल में उन्नयन करने,
(11) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य की प्राथ. शाला, बालाघाट में विद्यार्थियों की राशि का दुरूपयोग होने,
(12) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह के सनावद में विद्युत संकट होने,
(13) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की शहडोल के डी.एफ.ओ. द्वारा रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाये जाने,
(14) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य की दमोह के वरैया एवं खैराखड़ी घाट पर पुल निर्माण न किये जाने,
(15) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का जीवन दूभर होने
(16) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की खाचरौद उप कोषालय स्थित फर्नाजी मंदिर से मूर्ति चोरी होने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी मानी गई।

3. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (क्रमांक 1 सन् 2011) पटल पर रखा।

4. सम्पत्ति विवरण का पटल पर रखा जाना

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री द्वारा अपना तथा अपने परिवार की सम्पत्ति का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने

(क) मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का पच्चीसवां एवं छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2006-07 एवं 2007-08),

(ख) मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त का पच्चीसवां एवं छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 का व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा

(ग) मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त के पच्चीसवां एवं छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन के अंग्रेजी अंश के हिन्दी रूपांतर पटल पर रखे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 पटल पर रखा।

(3) श्री तुकोजीराव पवार, पर्यटन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2006-07 पटल पर रखा.

(4) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 21 सितम्बर, 2010 पटल पर रखी।

(5) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री खनिज साधन ने :-

(i) (क) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड की 47वीं वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2008-09 एवं
(ख) एम.पी. पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन, वित्त वर्ष 2008-09 तथा

(ii) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण, वर्ष 2007-2008 पटल पर रखे।

6. नवम्बर -दिसम्बर, 2010 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नवम्बर-दिसम्बर 2010 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप, शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तर का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों को पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

7. नियम 267-क के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 2010 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन नवम्बर-दिसम्बर 2010 सत्र में पढ़ी सूचनाओं तथा उन पर शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

8. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित 7 विधेयकों को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई है. अतः निम्नलिखित विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे:-

क्रमांक	विधेयक का नाम	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2010 (क्रमांक 30 सन् 2010)	अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2010
2.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 27 सन् 2010)	अधिनियम क्रमांक 27 सन् 2010
3.	मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (निरसन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 27 सन् 2010)	अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2011
4.	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 25 सन् 2010)	अधिनियम क्रमांक 2 सन् 2011
5.	मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 29 सन् 2010)	अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2011
6.	मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 26 सन् 2010)	अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2011
7	मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010)	अधिनियम क्रमांक 5 सन् 2010

9. कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 21 फरवरी, 2011 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा हेतु उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	नाम	निर्धारित समय
1.	न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश) विधेयक, 2011 (क्रमांक 1 सन् 2011)	1 घण्टा
2.	मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 2 सन् 2011)	30 मिनट
3.	मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2011	1 घण्टा
4.	वर्ष 2010-11 की तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण.	2 घण्टे

समिति द्वारा यह सिफारिश भी की गई है कि वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक का उपस्थापन दिनांक 24 फरवरी, 2011 को प्रातः 10.30 बजे किया जाय और उस दिन अन्य कोई भी कार्य न रखा जाय।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री खटीक रमेश प्रसाद, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि -

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी, 2011 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

	अशासकीय संकल्प	प्रस्तावक सदस्य	निर्धारित समय
1.	(क्रमांक-3)	श्री यशपाल सिंह सिसोदिया	35 मिनट
2.	(क्रमांक-15)	श्री के.पी. सिंह	35 मिनट
3.	(क्रमांक-24)	श्री विश्वास सारंग	40 मिनट
4.	(क्रमांक-26)	श्री बृजेन्द्र सिंह	40 मिनट

श्री खटीक रमेश प्रसाद, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत एवं ब्रजराज सिंह, सदस्यगण ने चम्बल संभाग में नहर प्रणाली से सिंचाई हेतु पानी न छोड़े जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सर्वश्री रामनिवास रावत, ब्रजराज सिंह एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण द्वारा ध्यानाकर्षण पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

(2) सर्वश्री आरिफ अकील एवं ध्रुवनारायण सिंह, सदस्यगण ने भोपाल में हरियाली-महोत्सव के तहत पौध रोपण में अनियमितता किये जाने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

12. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये नामनिर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री ज्ञान सिंह
(2) श्री केदारनाथ शुक्ल
(3) श्रीमती नीता पटैरिया
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(6) श्री रामलखन सिंह

13. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री खटीक रमेश प्रसाद, सदस्य की शिवपुरी जिले के -
- (क) सिन्ध परियोजना की आर.बी.सी. नहर का निर्माण ग्राम जैतपुर तक किये जाने,
- (ख) ग्राम दिदावली हेठा दीवर में आंगन बाडी भवन निर्माण किये जाने,
- (ग) मगरोनी में कन्या हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,
- (घ) ग्राम लमकना से बिल्हारी तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (ङ) ग्राम केखौदा से दतुला तक सड़क निर्माण कराये जाने तथा
- (च) ग्राम गाणौनी दतुला में नहर निर्माण कराये जाने,

(2) श्री विजय पाल सिंह, सदस्य की होशंगाबाद जिले के -
- (क) बाबई में स्थित माखन लाल चतुर्वेदी महाविद्यालय में अतिथि विद्वानों की नियुक्ति किये जाने तथा
- (ख) ग्राम शोभापुर में स्थित उप मंडी में खरीदी का कार्य प्रारंभ कराये जाने,

(3) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की सतना जिले के -
- (क) रामपुर बघेलान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने,
- (ख) ग्राम बदरखां, हिनौता को मुख्यमंत्री सड़क योजना में जोडे जाने,
- (ग) टमस नदी पर निमहा घाट में रपटा निर्माण कराये जाने,
- (घ) रामपुर बघेलान के हनुमानगंज मोहल्ले के चौराहे पर डॉक्टर अम्बेड़कर की प्रतिमा स्थापित किये जाने,
- (ङ) ग्राम घोरकाट में हाई स्कूल खोले जाने,
- (च) ग्राम पिथयपुर में खैरहा नाला पर पुल निर्माण कराये जाने तथा
- (छ) रामपुर बघेलान में बालिका छात्रावास खोले जाने,

(4) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के -
- (क) ग्राम पंचायत मालपिया के आदिवासी भूमिहीनों को पट्टे दिये जाने,
- (ख) मोहनगढ़ को तहसील स्तर की समस्त सुविधा दिये जाने,
- (ग) ओरछा तिगैला से ओरछा मार्ग की पुलियों को चौड़ा किये जाने तथा
- (घ) मोहनगढ़ में तहसील भवन का निर्माण कराये जाने

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

14. लोक निर्माण मंत्री का प्रश्न के उत्तर संबंधी वक्तव्य

श्री नागेन्द्र सिंह ''नागौद'', लोक निर्माण मंत्री ने दिनांक 19 मार्च, 2009 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्रमांक 892) के उत्तर में संशोधन किये जाने के संबंध में वक्तव्य दिया।

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 1 सन् 2011) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 2 सन् 2011) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल , राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 3 सन् 2011) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

16. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्रीमती नीता पटेरिया, सदस्य द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2011 को प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन के निम्नलिखित प्रस्ताव पर श्रीमती नीता पटेरिया, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया :-

''राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.''

सभापति महोदय (चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी) पीठासीन हुए।

(श्रीमती नीता पटैरिया, सदस्य का भाषण एवं चर्चा अपूर्ण)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

17. स्वागत

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री यज्ञदत्त शर्मा, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित पर सदन की ओर से स्वागत-उल्लेख किया गया।

(अपराह्न 1.00 से 2.41 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

18. अशासकीय संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घण्टे अशासकीय कार्य के लिये नियत हैं। तद्नुसार, अशासकीय संकल्पों पर निम्नानुसार चर्चा प्रारम्भ की गई :-

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि :-

''यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ट्रेन क्रमांक 19658 जो वर्तमान में उदयपुर से इंदौर एवं इंदौर से उदयपुर के मध्य सप्ताह के तीन दिन क्रमशः बुधवार, शुक्रवार एवं शनिवार को चल रही है, उसे प्रतिदिन चलाया जावे. ''

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(2) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(3) श्री पारस सकलेचा

श्री नारायन सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, परिवहन ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) श्री के पी.सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि :-

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ग्वालियर से भोपाल के बीच इंटरसिटी ट्रेन चलाई जाय."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री के पी.सिंह
(2) श्री मदन कुशवाह
(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

श्री नारायन सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, परिवहन ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) श्री विश्वास सारंग, सदस्य के अशासकीय संकल्प - "सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश रियल इस्टेट नियामक संस्था का गठन किया जावे, जिससे मकान खरीदने वाले ग्राहक पंजीकृत बिल्डरों के तकनीकी शब्दों के कारण होने वाले शोषण से बच सकें." के संबंध में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि माननीय सदस्य के अनुरोध पर एवं माननीय मंत्री की सदन से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान करने के कारण इस अशासकीय संकल्प को अगले शुक्रवार को लिया जायेगा।

सदन की सहमति से संकल्प पर चर्चा स्थगित की गई।

(4) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि :-

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल एवं धार्मिक स्थल, ओरछा पर स्थित रेल्वे स्टेशन से गुजरने वाली समस्त ट्रेनों को यात्रियों के लिये रोकने की व्यवस्था की जावे."

श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री नारायन सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, परिवहन ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.02 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 28 फरवरी, 2011 (फाल्गुन 9, 1932) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 25 फरवरी, 2011